दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना (सिपडा) के तहत केंद्रीय परियोजना मानिटरिंग यूनिट (सीपीएमयू) सह डेटा कार्यनीति इकाई (डीएसयू) की स्थापना के लिए प्रक्रिया और दिशानिर्देश

1. पृष्ठभूमि

1.1 नि:शक्तजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, सर्वप्रयोजनीय कानून था जो दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारों और सशक्तिकरण से संबंधित था। कानून के अधिनियमन ने सकारात्मक कार्रवाई की प्रतिबद्धता और दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने के संकल्प को मजबूत किया। इस अधिनियम ने पहली बार कानूनी रूप से दिव्यांगजनों की शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार, सार्वजनिक परिवहन और निर्मित वातावरण, सूचना और संचार और उनकी स्वतंत्रता और गरिमा को बरकरार रखने के लिए अधिकारों का कानूनी रूप से समर्थन किया है। अधिनियम के अनुसार, दिव्यांगता स्वास्थ्य या कल्याण के मुद्दे के बजाय नागरिक (सिविल) अधिकारों का मुद्दा है। इसने स्वीकार किया कि दिव्यांगजनों द्वारा सामना किया जाने वाला प्रमुख मुद्दा समाज की मुख्यधारा की गतिविधियों से उनका बहिष्करण था और इसलिए पूर्ण भागीदारी और समान अवसरों पर जोर दिया गया। **सरकार ने बाद में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी), 2016 को अधिनियमित किया है, जिसने नि:शक्तजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 का स्थान लिया है। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 दिनांक 19.04.2017 से लागू हुआ है। यह अधिकार आधारित अधिनियम है जिसमें अधिनियम के प्रावधानों या उसके तहत नियमों का अनुपालन न करने के लिए दंडात्मक प्रावधान शामिल हैं।**

1.2 आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना (सिपडा) को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमएसजे

एंड ई) के अधीन भारत सरकार के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) द्वारा चलाई जा रही है। सिपडा एक अंब्रेला योजना है जिसके तहत कई उप-योजनाएं संचालित की जाती हैं। अगस्त 2021 में आयोजित व्यय वित्त समिति (ईएफसी) में सिपडा के तहत योजनाओं सहित डीईपीडब्ल्यूडी की सभी योजनाओं की मानिटरिंग के लिए, एक केंद्रीय परियोजना मानिटरिंग यूनिट (सीपीएमयू) सह डेटा रणनीति इकाई (डीएसयू) को एक नए उप-घटक के रूप में जोड़ा गया है।

1.3 मानिटरिंग परिभाषित उद्देश्यों और लक्ष्यों की दिशा में किसी योजना/परियोजना की प्रगति का आंकलन करने की सतत प्रक्रिया से संबंधित है। इसमें किसी योजना/परियोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए प्रासंगिक संकेतकों और उनके डेटा स्रोतों की पहचान, आवधिक डेटा संग्रह, निरीक्षण और सूचना की वास्तविक समय प्रोसेसिंग शामिल है। यह जानकारी भविष्य के मूल्यांकन का आधार भी बन सकती है। लक्षित लाभार्थियों की निर्बाध कार्यान्वयन और कार्यक्रम वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी मानिटरिंग महत्वपूर्ण है।

1.4 इसके अलावा, प्रशासनिक डेटा साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने के लिए आधार है और यह अपने पूरे जीवन चक्र में सार्वजनिक नीति को संचालित करने में सक्षम है। अधिकांश सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) और डैशबोर्ड विकसित किए गए हैं, जो प्रगति की मानिटरिंग में मदद करते हैं। इस उद्देश्य के लिए, डेटा विश्लेषण, इसका उपयोग और प्रसार महत्वपूर्ण हो गया है। एकत्रित डाटा के विश्लेषण का उपयोग साक्ष्य निर्माण और निर्णय लेने के लिए किया जाता है। यह न केवल क्रॉस-सेक्शनल विश्लेषण बल्कि रिग्रेशन और भविष्यगामी विश्लेषण के रूप में भी मदद करता है। डेटा के विज़ुअलाइज़ेशन के लिए डैशबोर्ड के उपयोग की भी जाँच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूचना उपयोगकर्ता के अनुकूल हो और सुगम्य तरीके से प्रसारित हो।

1.5 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विभाग की सभी योजनाओं की मानिटरिंग/निरीक्षण और डेटा विश्लेषण के लिए केंद्रीय परियोजना **मानिटरिंग यूनिट** (सीपीएमयू) सह डेटा कार्यनीति यूनिट (डीएसयू) का विचार किया गया है।

2. <u>उद्देश्य</u>

2.1. इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत सिपडा योजना के माध्यम से वित्त पोषित सीपीएमयू सह डीएसयू के परामर्शदाताओं/टीम लीडर के चयन, अनुबंध और मोनिटरिंग के लिए व्यापक नीतियों और प्रक्रियाओं को परिभाषित करना है। परामर्शदाताओं को निम्नलिखित जिम्मेदारियां निभाने के लिए नियुक्त किया जाएगा:-

(i) सभी योजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसियों का निरीक्षण;

(ii) गुणवत्ता मानदंडों की मानिटरिंग और रिपोर्ट तैयार करना;

(iii) डीईपीडब्ल्यूडी की सभी योजनाओं का डेटा विश्लेषण और डेटा संचालित विश्लेषण; और

(iv) सभी योजनाओं के लिए आउटपुट आउटकम संकेतकों का विश्लेषण किया जा रहा है।

2.2. सीपीएमयू सह डीएसयू का प्रशासनिक नियंत्रण: सिपडा के तहत सीपीएमयू सह डीएसयू की अध्यक्षता एक संयुक्त सचिव द्वारा की जाएगी और विभाग के निदेशक / उप सचिव (डीएस) और अवर सचिव (यूएस) द्वारा उनकी सहायता की जाएगी। टीम लीडर और परामर्शदाता अवर सचिव और निदेशक के माध्यम से संयुक्त सचिव को रिपोर्ट करेंगे। संयुक्त सचिव (सीपीएमयू सह डीएसयू) के अनुमोदन से सीपीएमयू सह डीएसयू टीम लीडर द्वारा मासिक और वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा।

2.3. परामर्शदाताओं/टीम लीडर की सेवाओं के लिए अनुबंधों की सामान्य शर्तों को उनके व्यक्तिगत अनुबंधों में सम्मिलित किया जाएगा।

3. परामर्श:

सीपीएमयू सह डीएसयू में 01 टीम लीडर सहित 21 सदस्य होंगे। परामर्शदाताओं/टीम लीडर की भर्ती सामान्य रूप से परियोजना कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण, योजनाओं/परियोजनाओं पर विशिष्ट विशेषज्ञ सलाह के प्रावधान, नीति मार्गदर्शन, विशेष अध्ययन, अनुपालन पर्यवेक्षण, प्रशिक्षण, अथवा कार्यान्वयन और मानिटरिंग अथवा विभाग में सीपीएमयू सह डीएसयू प्रशासनिक प्रमुख द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कार्य के लिए की जाएगी।

4. <u>विचारार्थ विषय</u>

विशेषज्ञ कार्य के लिए परामर्शदाताओं/टीम लीडर की नियुक्ति के लिए विचारार्थ विषय अनिवार्य हैं और यह व्यक्तिगत अनुबंध का हिस्सा होगा। विचारार्थ विषय में वितरित किए जाने वाले आउटपुट और निष्पादित किए जाने वाले कार्य शामिल होंगे। आउटपुट और कार्य विशिष्ट, मापनीय, प्राप्य, परिणाम-आधारित और समयबद्ध होंगे।

5. <u>सामान्य निबंधन और शर्तें</u>

5.1. कार्यकाल: व्यक्तिगत परामर्शदाताओं को 2 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा और आवश्यकता के अनुसार विशिष्ट परियोजनाओं पर उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तथापि, पहले और अनुवर्ती वर्ष के बाद संबंधित पद पर उन्हें जारी रखा जाना आकस्मिक और विशिष्ट सिफारिश पर होगा । जिसमें संतोषजनक वार्षिक कार्य-निष्पादन समीक्षा के आधार पर एक्सटेंशन के लिए कारणों का उल्लेख किया जाएगा। प्रत्येक परामर्शदाता/टीम लीडर की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा वर्टिकल के प्रमुख (उप सचिव के रैंक को) द्वारा की जाएगी और संयुक्त सचिव (सीपीएमयू सह डीएसयू) स्तर पर विस्तार किया जाएगा । **एक वर्ष से अधिक के एक्सटेंशन पर, असाधारण मामले में, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी के अनुमोदन से विचार किया जा सकता है। तीन साल बाद नए लोगों की भर्ती की जाएगी।**

5.2. यथा निर्धारित योग्यता और अनुभव रखने वाले पेशेवरों को परामर्शदाता/टीम लीडर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। जीएफआर 2017 के नियम 177 के अनुसार, परामर्श सेवाओं में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की सीधी नियुक्ति शामिल नहीं है।

5.3 परामर्शदाताओं/टीम लीडर की नियुक्ति पूर्णकालिक आधार पर की जाएगी। पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त परामर्शदाताओं को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में परामर्श (कंसलटेंसी) की अवधि के दौरान कोई अन्य कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5.4 परामर्शदाताओं/टीम लीडर की नियुक्ति अस्थायी प्रकृति की है और विभाग बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नियुक्ति को रद्द कर सकता है। सीपीएमयू सह डीएसयू के किसी भी टीम सदस्य/टीम लीडर को जारी रखने/बंद करने का अंतिम निर्णय विभाग का है।

5.5 परामर्शदाताओं/टीम लीडर की संख्या: दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा योजनाओं/परियोजनाओं की मानिटरिंग के लिए नियुक्त किए जाने वाले परामर्शदाताओं/टीम लीडर की कुल संख्या 21 होगी, जिसमें 1 टीम लीडर भी शामिल है। यह संख्या किसी विशेष समय पर वास्तविक आवश्यकता और बजट के प्रावधान के आधार पर परिवर्तित हो जाएगी।

5.6. टीम लीडर सहित टीम के सदस्यों को नौकरी छोड़ने से पहले कम से कम एक महीने पूर्व में लिखित सूचना देनी होगी।

6. चयन प्रक्रिया

6.1 परामर्शदाताओं का चयन जीएफआर 2017 में नियम 177 से 196 के तहत निहित प्रावधानों और अध्याय 7 - व्यक्तिगत परामर्शदाता / सेवा प्रदाता का चयन (पैरा 7.1 और 7.2) और अध्याय 6 और अन्य सेवाओं के लिए खरीद 2017 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। परामर्श (कंसलटिंग) और अन्य सेवा हेतु अधिप्रापण मैन्युअल 2017 के पैरा (6.5) के तद्नुरूप किया जाएगा।

6.2 दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की आवश्यकता को समय-समय पर इसकी वेबसाइट के साथ-साथ कम से कम एक समाचार पत्र (हिंदी और अंग्रेजी दोनों) में विज्ञापित किया जाएगा।

6.3 विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त उपयुक्त प्राधिकारी/एजेंसी के माध्यम से चयन किया जाएगा।

6.4 विभाग इस उद्देश्य के लिए सीधे या किसी बाहरी एजेंसी के माध्यम से परामर्शदाताओं का चयन कर सकता है।

6.5 परामर्शदाता की नियुक्ति से लेकर पूरी प्रक्रिया को एजेंसी या स्वयं विभाग के माध्यम से डीईपीडब्ल्यूडी के स्थापना अनुभाग द्वारा निपटाया जाएगा।

6.6 पात्रता मानदंड में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को विभाग द्वारा यथा उपयुक्त पाए जाने पर लिखित परीक्षा, सामूहिक चर्चा और व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

6.7 लिखित परीक्षा और सामूहिक चर्चा के लिए सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी के अनुमोदन से मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा।

6.8 उम्मीदवारों को विधिवत गठित चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा। सामान्यत: उम्मीदवारों को 1:5 के अनुपात में बुलाया जाएगा।

6.9 साक्षात्कार समिति में संयुक्त सचिव (सीपीएमयू सह डीएसयू) की अध्यक्षता में 5 सदस्य होंगे। निदेशक/उप सचिव (प्रशासन), निदेशक/उप सचिव (आईएफडी), निदेशक/ उप सचिव (सांख्यिकी) और निदेशक/ उप सचिव (सीपीएमयू) अन्य सदस्य होंगे। निदेशक/ उप सचिव (प्रशासन) संयोजक के रूप में कार्य करेंगे।

6.10 कुछ अपवादात्मक मामलों में, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी के अनुमोदन से जीएफआर 2017 के नियम 194 के तहत सिंगल सोर्स/नामांकन आधार से चयन पर भी विचार किया जा सकता है।

7. शैक्षिक योग्यता, आयु, अनुभव और पारिश्रमिक :

सचिवालय कार्य के लिए अनुभव और पारिश्रमिक-

पद का नाम	शिक्षा	अनुभव और अन्य आवश्यकताएं	पारिश्रमिक
परामर्शदाता (सीपीएमयू)	सामाजिक कार्य में स्नातक या स्नातकोत्तर होना चाहिए (केवल अंतिम वर्ष उत्तीर्ण)	अनुसंधान, नीति विश्लेषण, परियोजना प्रबंधन, एनजीओ प्रबंधन सहित सामाजिक रूप से प्रासंगिक जुड़ाव में अनुभव होना चाहिए। कंप्यूटर के उपयोग में प्रवीणता, मजबूत प्रस्तुति और संचार (लिखित और मौखिक) कौशल आवश्यक है।	75,000/- रु. प्रति माह का समेकित पारिश्रमिक
परामर्शदाता (डीएसयू)	किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए	डेटा साइंस/एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स/कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में उन्नत ज्ञान रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी	
टीम लीडर	किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। उप सचिव या निदेशक या संयुक्त सचिव के स्तर पर केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी	सामाजिक कार्य में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।	सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के संबंध में पारिश्रमिक व्यय विभाग द्वारा दिनांक 09.12.2020 को जारी दिशानिर्देशों के आधार पर तय किया जाएगा।

7.2. यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) मुख्य में उत्तीर्ण उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और उन्हें सीधे सामूहिक चर्चा और साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। उन्हें इसके लिए दस्तावेजी साक्ष्य (सबूत) उपलब्ध कराने होंगे।

7.3. **आयु पात्रता:- सीपीएमयू सह डीएसयू परामर्शदाता -** उसकी आयु 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए (आयु की निर्धारित तिथि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि होगी)।

टीम लीडर - दिनांक 31.08.2022 को 63 वर्ष से कम

7.4 सीपीएमयू सह डीएसयू के सदस्यों और टीम लीडर को कम से कम 10 दिनों का एक ओरिंटेशन कार्यक्रम प्रशिक्षण दिया जाएगा।

8. टीए/डीए

परामर्शदाता/टीम लीडर्स को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन घरेलू दौरे करने की आवश्यकता हो सकती है और उन्हें निर्धारित टीए/डीए की अनुमति दी जाएगी। **सीपीएमयू की देखने वाले संबंधित संयुक्त सचिव के अनुमोदन से घरेलू दौरे किए जाएंगे।**

पारिश्रमिक की स्थिति	**यात्रा का तरीका**	**होटल, टैक्सी और भोजन के बिलों की प्रतिपूर्ति**
परामर्शदाता (सीपीएमयू)/ परामर्शदाता (डीएसयू)/टीम लीडर	इकोनॉमी क्लास में हवाई यात्रा या एसी टू टियर में रेल द्वारा	सभी खर्चों सहित प्रति दिन 5000 रुपये।

9. लैपटॉप

प्रत्येक परामर्शदाता/टीम लीडर को केवल सरकारी प्रयोग के उद्देश्य से भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार एक लैपटॉप प्रदान किया जाएगा। नौकरी छोड़ने से पहले लैपटॉप विभाग को वापस जमा करना होगा, जिसके लिए परामर्शदाताओं द्वारा एक वचनबद्धता पर हस्ताक्षर किया जाना होगा।

9.1. प्रत्येक परामर्शदाता/टीम लीडर के लिए सरकारी ईमेल और ई-ऑफिस का प्रावधान होगा।

10. भुगतान

सिपडा योजना के तहत व्यक्तिगत परामर्शदाता/टीम लीडर द्वारा पंजीकृत बायोमेट्रिक उपस्थिति/निर्धारित उपस्थिति प्रक्रिया और संबंधित अनुभाग के अवर सचिव स्तर के अधिकारी से प्रमाणीकरण के आधार पर माह पूरा होने के बाद दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा भुगतान जारी किया जाएगा।

10.1 **अवकाश** - परामर्शदाता/टीम लीडर वर्ष में आनुपातिक आधार पर 12 दिनों के अवकाश के हकदार होंगे। इसके अलावा, एक महीने तक की अनुपस्थिति को बिना पारिश्रमिक के माना जाएगा। हालांकि, व्यावसायिक विकास, प्रशिक्षण आदि के लिए असाधारण मामलों में, **सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी** द्वारा इस शर्त में शिथिलता दी जा सकती है| इसके अलावा, महिला परामर्शदाता, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के अनुसार, संख्या एस36012/03/2015-एसएस-1 दिनांक 12 अप्रैल, 2017 के तहत मातृत्व अवकाश के लिए पात्र होगी।

11. स्रोत पर कर कटौती

मौजूदा नियमों के अनुसार भुगतान किए जाने से पहले आयकर या कटौती किए जाने वाले किसी भी अन्य कर को स्रोत पर काटा जाएगा, जिसके लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करेगा। व्यक्तिगत परामर्शदाता/टीम लीडर को यथा लागू वस्तु एवं सेवा कर स्वीकार्य होगा। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग इस संविदा के तहत किए गए भुगतान पर व्यक्तिगत परामर्शदाता/टीम लीडर द्वारा देय करों या अन्य अंशदान के लिए कोई दायित्व नहीं लेता है।

12. पुलिस सत्यापन

वैयक्तिक रूप से सलाहकारों/टीम लीडर का पुलिस सत्यापन गृह मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। यदि पुलिस सत्यापन नकारात्मक रूप में प्राप्त होता है, तो वैयक्तिक रूप से परामर्शदाता/टीम लीडर की संविदा बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगी।

13. शिथिलता (छूट)

जहां सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समयोचित है, तो वह आदेश द्वारा और कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके, इन दिशानिर्देशों के किसी भी प्रावधान को शिथिल कर सकता/सकती है।

14. संविदा की निबंधन और शर्तें

14.1 **कानूनी स्थिति:** परामर्शदाता/टीम लीडर के पास दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की तुलना में एक स्वतंत्र परामर्शदाता की कानूनी स्थिति होगी और उन्हें किसी भी उद्देश्य के लिए, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के "स्टाफ सदस्य" या “अधिकारी” के रूप में नहीं माना जाएगा। तदनुसार, संविदा के भीतर या उससे संबंधित किसी भी बात से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और व्यक्तिगत परामर्शदाता के बीच नियोक्ता और कर्मचारी, या प्रिंसिपल और एजेंट का संबंध स्थापित नहीं होगा।

14.2 आचरण मानक

14.2.1 सामान्य तौर पर, परामर्शदाता/टीम लीडर संविदा के तहत अपने दायित्वों के प्रदर्शन के संबंध में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के बाहर के किसी भी प्राधिकरण से न तो निर्देश मांगेंगे और न ही स्वीकार करेंगे। परामर्शदाता /टीम लीडर संविदा के अपने प्रदर्शन के संबंध में या अन्यथा संविदा के तहत अपने दायित्वों से संबंधित कोई कार्रवाई नहीं करेगा, जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है और परामर्शदाता/टीम लीडर संविदा के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के हितों का पूरा ध्यान रखते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा। परामर्शदाता/टीम लीडर विश्वास दिलाता है कि उसने संविदा के प्रदर्शन या उसके अवार्ड के संबंध में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के किसी प्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी या अन्य एजेंट को कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान नहीं किया है और न ही करेगा| परामर्शदाता/टीम लीडर संविदा के तहत अपने दायित्वों के प्रदर्शन से संबंधित सभी कानूनों, अध्यादेशों, नियमों और विनियमों का पालन करेंगे। संविदा के निष्पादन में, परामर्शदाता /टीम लीडर आचरण के मानकों का पालन करेंगे। इसका अनुपालन न करने की दशा में परामर्शदाताओं/टीम लीडर की, इस आधार पर, संविदा समाप्त की जा सकती है|

14.2.2 यौन शोषण और दुर्व्यवहार का निषेध : संविदा के निष्पादन में, परामर्शदाता /टीम लीडर "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" का अनुपालन करेंगे। वैयक्तिक परामर्शदाता स्वीकार करता है और सहमत होता है कि इसके किसी भी प्रावधान का उल्लंघन संविदा की एक अनिवार्य शर्त का उल्लंघन होगा, और, किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध किसी भी अन्य कानूनी अधिकार या उपचार के अलावा, संविदा की समाप्ति का आधार होगा। इसके अलावा, इसमें कही गई किसी भी बात से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के संबंधित राष्ट्रीय प्राधिकारियों के पूर्वगामी आचरण मानक के तथाकथित उल्लंघन के संबंध में समुचित कार्रवाई करने का अधिकार सीमित होगा।

14.3 <u>टाइटल अधिकार, कॉपीराइट, पेटेंट और अन्य स्वामित्व अधिकार</u>:

14.3.1 संविदा के तहत किसी भी दायित्व के प्रदर्शन के लिए परामर्शदाता / टीम लीडर को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा प्रस्तुत किए जा सकने वाले किसी भी उपकरण और आपूर्ति का टाइटल डीईपीडब्ल्यूडी के पास होगा, और इस तरह के किसी भी उपकरण को संविदा के समापन पर या जब परामर्शदाताओं/टीम लीडर द्वारा आवश्यकता नहीं होगी तब, डीईपीडब्ल्यूडी को वापस कर दिया जाएगा। इस तरह के उपकरण, जब डीईपीडब्ल्यूडी को वापस किए जाते हैं, तो उसी स्थिति में होंगे जब वे परामर्शदाताओं/टीम लीडर को वितरित किए गए थे। उपकरण की सामान्य टूट-फूट के अधीन, परामर्शदाता/टीम लीडर डीईपीडब्ल्यूडी को किसी भी क्षति या कमी के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

14.3.2 दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सभी बौद्धिक संपदा और अन्य मालिकाना अधिकारों का हकदार होगा, जिसमें उत्पादों, प्रक्रियाओं, आविष्कारों, विचारों, तकनीक या जानकारी के संबंध में पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क शामिल हैं । दस्तावेज़ और अन्य सामग्री जो परामर्शदाताओं/टीम लीडर ने संविदा के तहत डीईपीडब्ल्यूडी के लिए विकसित की है और जो संविदा के प्रदर्शन के दौरान परामर्शदाता से सीधा संबंध रखते हैं या उत्पादित या तैयार या एकत्र किए जाते हैं, और परामर्शदाता/टीम लीडर स्वीकार करता है और सहमत होता है कि ऐसे उत्पाद, दस्तावेज और अन्य सामग्री डीईपीडब्ल्यूडी के लिए किराए पर किए गए कार्य हैं। पूर्वगामी प्रावधानों के अधीन, सभी मानचित्र, चित्र, फोटो, मोज़ाइक, योजनाएं, रिपोर्ट, गणना, सिफारिशें, दस्तावेज और संविदा के तहत परामर्शदाता/टीम लीडर द्वारा संकलित या प्राप्त अन्य सभी डेटा डीईपीडब्ल्यूडी की संपत्ति होगी, उचित समय पर और उचित स्थानों पर डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा उपयोग या निरीक्षण के लिए इसे उपलब्ध कराया जाएगा, इसे गोपनीय माना जाएगा और संविदा के तहत काम पूरा होने पर केवल डीईपीडब्ल्यूडी के अधिकृत अधिकारियों को दिया जाएगा।

14.4 <u>दस्तावेजों और सूचनाओं की गोपनीय प्रकृति</u>: परामर्शदाता/टीम लीडर भारतीय शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के प्रावधानों के अधीन होंगे। परामर्शदाता/टीम लीडर, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की मंजूरी या अपने कर्तव्यों के वास्तविक निर्वहन के अलावा, किताब या लेखों का संकलन प्रकाशित नहीं करेंगे या रेडियो प्रसारण में भाग नहीं लेंगे यदि ऐसी पुस्तक, लेख, प्रसारण या पत्र डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा उसे सौंपी गई विषय-वस्तु से संबंधित है, तो अपने नाम से या गुमनाम रूप से या छद्म नाम से किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका में लेख नहीं लिख सकेंगे|

14.5 <u>दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के नाम, प्रतीक या आधिकारिक मुहर का उपयोग:</u> परामर्शदाता/टीम लीडर वाणिज्यिक लाभ के प्रयोजनों के लिए विज्ञापन या यह तथ्य सार्वजनिक नहीं करेंगे कि उसका डीईपीडब्ल्यूडी के साथ एक संविदात्मक संबंध है, और न ही परामर्शदाता/टीम लीडर, किसी भी रीति से, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के नाम, प्रतीक या आधिकारिक मुहर का उपयोग करेंगे या डीईपीडब्ल्यूडी की लिखित अनुमति के बिना अपने व्यवसाय के संबंध में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के नाम या संक्षिप्त नाम का प्रयोग नहीं करेंगे |

14.6 <u>बीमा:</u> परामर्शदाता/टीम लीडर संविदा के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने के लिए आवश्यक पर्याप्त बीमा बनाये रखने के लिए चाहे जीवन हो या स्वास्थ्य बीमा, स्वयं जिम्मेदार होंगे। जिस अवधि के दौरान परामर्शदाताओं/टीम लीडर संविदा के तहत सेवाएं प्रदान करते हैं, उस अवधि की बीमा सेवा के लिए परामर्शदाता/टीम लीडर स्वयं जिम्मेदार होंगे|

14.7 <u>यात्रा, चिकित्सा मंजूरी और सेवा में हुई मृत्यु, चोट या बीमारी :</u>

14.7.1 दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग या उसके अधीन किसी भी कार्यालय में कार्य शुरू करने से पहले परामर्शदाताओं/टीम लीडर को एक मान्यता प्राप्त चिकित्सक से फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाकर जमा करवाना होगा|

14.7.2 परामर्शदाताओं/टीम लीडर की मृत्यु, चोट या बीमारी की स्थिति में, जो संविदा की शर्तों के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में सेवाओं के प्रदर्शन के कारण हुई हैं या परामर्शदाता/टीम लीडर डीईपीडब्ल्यूडी के खर्च पर यात्रा कर रहे हैं या डीईपीडब्ल्यूडी या भारत सरकार के किसी भी कार्यालय या परिसर में संविदा के तहत कोई सेवा कर रहे हैं, तो परामर्शदाता/टीम लीडर या उसके आश्रित किसी भी मुआवजे के हकदार नहीं होंगे।

14.8 <u>अप्रत्याशित घटना और अन्य शर्तें:</u>

14.8.1 जैसा कि यहां प्रयोग किया गया है, यहां प्रयुक्त अप्रत्याशित घटना का अर्थ है प्रकृति का कोई भी अप्रत्याशित और अप्रतिरोध्य कार्य, युद्ध (चाहे घोषित हो या अघोषित), आक्रमण, क्रांति, विद्रोह, या समान प्रकृति या बल का कोई अन्य कार्य बशर्ते कि ऐसे कार्य नियंत्रण के परे कारणों से और परामर्शदाता /टीम लीडर की गलती या लापरवाही के बिना उत्पन्न हो ।

14.8.2 परामर्शदाता/ टीम लीडर स्वीकार करता है और सहमत है कि संविदा के तहत वह ऐसी किसी भी देयता हेतु अथवा उस क्षेत्र में कार्य करेगा जिसमें दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग लगा हुआ है, करने के लिए तैयार हो रहा है, अथवा किसी भी शांति स्थापना, मानवीय या इसी प्रकार के संचालन से हट रहा हैं, ऐसे क्षेत्रों के भीतर कठिन परिस्थितियों अथवा ऐसे क्षेत्रों में सिविल अशांति की घटने वाली किसी घटनाओं से सामने आने वाली अथवा संबंधित ऐसे देयताओं को पूरा करने में कोई विलंब या असफलता स्वयं और इसकी, संविदा के अधीन अप्रत्याशित घटना का भाग नहीं होगी।

14.9 <u>समापन</u>: दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग बिना किसी पूर्व सूचना के और इसके लिए कोई कारण बताए बिना, किसी भी समय संविदा को समाप्त कर सकता है। हालांकि, सामान्य तौर पर विभाग परामर्शदाता/टीम लीडर को एक महीने का नोटिस देगा। परामर्शदाता/टीम लीडर डीईपीडब्ल्यूडी को एक महीने का नोटिस देकर संविदा को समाप्त करने की मांग कर सकते हैं। परामर्शदाता/टीम लीडर एक महीने के वेतन के अधिकार के बदले तुरंत परामर्शदाता के रूप में सेवाओं से इस्तीफा दे सकते हैं।

14.10. <u>लेखा परीक्षा और जांच</u>: दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा भुगतान किया गया प्रत्येक चालान की अवधि के दौरान लेखा-परीक्षकों द्वारा भुगतान पश्चात लेखा परीक्षा के अधीन होगा, चाहे वे डीईपीडब्ल्यूडी के आंतरिक या बाह्य लेखा-परीक्षक हो अथवा डीईपीडब्ल्यूडी के अन्य अधिकृत और योग्य लेखा-परीक्षकों और योग्य एजेंटों द्वारा लेखा परीक्षकों द्वारा (पोस्ट-पेमेंट) ऑडिट के अधीन होगा। डीईपीडब्ल्यूडी संविदा के निबंधन और शर्तों के अलावा डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा भुगतान की गई ऐसी किसी भी राशि जो ऑडिट द्वारा दिखाई गई है, के लिए परामर्शदाताओं/टीम लीडर से वापसी का हकदार होगा। परामर्शदाता/टीम लीडर स्वीकार करता है और सहमत होता है कि, समय-समय पर, डीईपीडब्ल्यूडी संविदा के किसी भी पहलू या उसके अवार्ड सामान्यत: निष्पादित दायित्वों पर संबंधित परामर्शदाताओं/टीम लीडर के संचालन (ऑप्रेशन) से संबंधित जांच कर सकता है। डीईपीडब्ल्यूडी का जांच करने का अधिकार और इस तरह की जांच का अनुपालन करने के लिए सलाहकारों/टीम लीडर की देयता संविदा की समाप्ति या पूर्व समाप्ति पर समाप्त नहीं होगी। परामर्शदाता/टीम लीडर ऐसे किसी भी निरीक्षण, पोस्ट-पेमेंट ऑडिट या जांच के साथ अपना पूर्ण और समय पर सहयोग प्रदान करेगा। इस प्रकार के सहयोग में परामर्शदाता/टीम लीडर की देयता ऐसे समुचित समय और उचित स्थितियों में ऐसे उद्देश्यों के लिए अपने कार्मिक और किसी अन्य संगत प्रलेखन को उपलब्ध कराने और डीईपीडब्ल्यूडी को परामर्शदाता/टीम लीडर के कार्मिक तथा संगत प्रलेखन के संबंध में डीईपीडब्ल्यूडी को ऐसे समुचित तथा उचित समय पर परामर्शदाता/टीम लीडर को पहुंच प्रदान करने तक ही होगी लेकिन यह यही तक सीमित नहीं होगी।

14.11. <u>हितों का परस्पर विरोध</u>: परामर्शदाता/टीम लीडर से भारत सरकार के सभी नियमों और विनियमों, जो लागू हैं, का पालन करने की अपेक्षा की जाएगी| उनसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय अत्यधिक ईमानदारी, पद गोपनीयता और सत्यता का प्रदर्शन करने की अपेक्षा की जाएगी| यदि सलाहकारों/टीम लीडर

की सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई जाती हैं या डीईपीडब्ल्यूडी/भारत सरकार के हितों में विरोध पाया जाता है, तो उनकी सेवाएं बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दी जाएगी।

15. विभाग में पहले से नियुक्त परामर्शदाता/विशेष परामर्शदाता/वरिष्ठ परामर्शदाता अपनी मौजूदा संविदा की समाप्ति तक व्यक्तिगत संविदा के निबंधन और शर्तों द्वारा शासित होते रहेंगे। समय-सीमा को आगे बढ़ाया जाना (एक्सटेंशन) इन दिशानिर्देशों के अध्यधीन होगा।

16. यदि विभाग/मंत्रालय द्वारा बनाए गए नीतिगत दिशा-निर्देशों के संबंध में परामर्शदाता की नियुक्ति के बाद कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो विभाग/मंत्रालय के सचिव का निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

(एस.के. महतो)
अवर सचिव (भारत सरकार)